प्रारंभिक परीक्षा

PSLV रॉकेट

संदर्भ

इसरो PSLV रॉकेट का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है।

PSLV रॉकेट के बारे में -

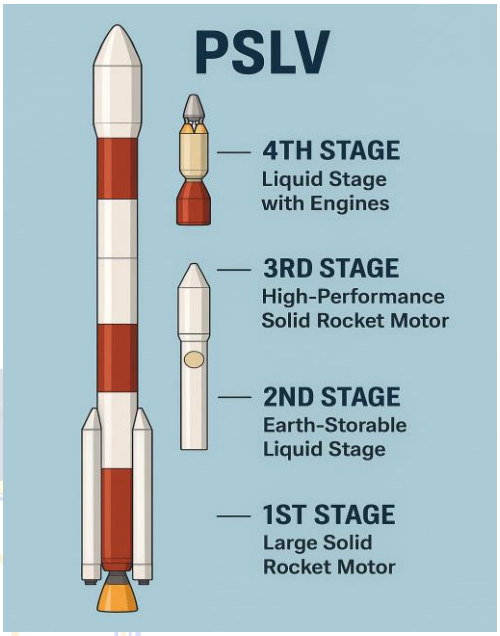

- **इसका पूरा नाम है:** ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान।
- **पीढ़ी:** 3
- **दिया गया शीर्षक:** इसरो का वर्कहॉर्स (सर्वोच्च सफलता दर के कारण)।
- **वैरिएंट**: 4 (सीए,डीएल,क्यूएल,एक्सएल)
- **पहली उड़ान**: 20 सितम्बर, 1993
- **महत्व:**
    - लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान।
    - **दो अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए - 2008 में चंद्रयान-1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान।**
    - विभिन्न उपग्रहों को भू-समकालिक और भू-स्थिर कक्षाओं में प्रक्षेपित करना, जैसे **भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली(IRNSS) कांस्टेलेशन के उपग्रह**

IRNSS के अनुप्रयोग -

- स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन
- आपदा प्रबंधन
- वाहन ट्रैकिंग और बेड़े का प्रबंधन
- मोबाइल फोन के साथ एकीकरण
- ड्राइवरों के लिए विजुअल और वॉइस नेविगेशन
- सटीक समय
- मानचित्रण और भूगणितीय डेटा संग्रहण

स्रोत: [The Hindu: ISRO set to launch earth observation satellite using PSLV rockets on Sunday]

बेरोज़गारी की स्थिति: PLFS रिपोर्ट

संदर्भ

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का पहला मासिक बुलेटिन जारी किया गया।

प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक -

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** जनसंख्या में उन लोगों के अनुपात को संदर्भित करता है जो या तो कार्यरत हैं, सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं, या काम के लिए उपलब्ध हैं।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** कुल जनसंख्या में से नियोजित लोगों का प्रतिशत दर्शाता है।
- **बेरोजगारी दर (UR**): कुल श्रम बल (यानी, काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले) में बेरोजगार व्यक्तियों के हिस्से को दर्शाता है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** सर्वेक्षण की तिथि से पहले 7-दिन की अवधि के दौरान उनकी गतिविधि के आधार पर किसी व्यक्ति की रोजगार स्थिति को दर्शाता है।

मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

1. Labour Force Participation Rate (in per cent) in CWS for persons of age 15 years and above during April 2025

sector	age group	male	female	person
rural	15-29 years	63.5	23.8	43.4
	15 years and above	79.0	38.2	58.0
	all ages	57.5	28.8	42.9
urban	15-29 years	59.1	21.5	41.2
	15 years and above	75.3	25.7	50.7
	all ages	58.5	20.5	39.9
rural + urban	15-29 years	62.0	23.1	42.7
	15 years and above	77.7	34.2	55.6
	all ages	57.8	26.2	42.0

2. Worker Population Ratio (in per cent) in CWS for persons of age 15 years and above during April 2025

sector	age group	male	female	person
rural	15-29 years	55.3	21.2	38.0
	15 years and above	75.1	36.8	55.4
	all ages	54.7	27.7	41.0
urban	15-29 years	50.2	16.4	34.1
	15 years and above	71.0	23.5	47.4
	all ages	55.1	18.7	37.3
rural + urban	15-29 years	53.6	19.8	36.8
	15 years and above	73.7	32.5	52.8
	all ages	54.8	24.9	39.8

3.Unemployment Rate (in per cent) in CWS for persons of age 15 years and above during April 2025

sector	age group	male	female	person
rural	15-29 years	13.0	10.7	12.3
	15 years and above	4.9	3.9	4.5
	all ages	4.9	3.8	4.5
urban	15-29 years	15.0	23.7	17.2
	15 years and above	5.8	8.7	6.5
	all ages	5.8	8.7	6.5
rural + urban	15-29 years	13.6	14.4	13.8
	15 years and above	5.2	5.0	5.1
	all ages	5.2	5.0	5.1

स्रोत: **PIB: Periodic Labour Force Survey (PLFS) – Monthly Bulletin [April 2025]**

मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ

मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने प्रस्तावित **अपर भवानी पम्प जलविद्युत परियोजना** के लिए नीलगिरि पहाड़ियों में एक स्थान पर **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(EIA)** अध्ययन करने की अनुमति दे दी है, जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान से 1 किमी दूर है।

मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में -

- **अवस्थिति**: तमिलनाडु का नीलगिरि जिला, नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के अंतर्गत।
- **निर्माण का कारण: यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरि तहर की रक्षा के लिए बनाया गया था।**
- **वनस्पति**: पर्वतीय घास के मैदान और झाड़ीदार भूमि, जिनमें शोला वृक्ष फैले हुए हैं।
- **जीव-जंतु**: नीलगिरि तहर, भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, नीलगिरि मार्टेन, नीलगिरि लंगूर।
- **नदी:** पाइकारा नदी (मुकुर्थी चोटी से निकलती है)।
    - यह नदी टोडा जनजाति (जो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रहती है) के लिए पवित्र है।

- **नीलगिरि तहर की संरक्षण स्थिति:**
    - आईयूसीएन - लुप्तप्राय
    - डब्ल्यूपीए, 1972 - अनुसूची 1
    - सीआईटीईएस - परिशिष्ट 1
- **एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (केरल) में नीलगिरि तहर का घनत्व सबसे अधिक है तथा इसकी जीवित जनसंख्या सबसे अधिक है।**

स्रोत: [Indian Express: Pumped Hydropower Project in Nilgiri gets preliminary approval]

महादयी नदी

संदर्भ

CSIR-NIO और INCOIS के एक नए वैज्ञानिक पेपर में दावा किया गया है कि कर्नाटक द्वारा महादयी नदी की धारा मोड़ने से गोवा पर सीमित पारिस्थितिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे गोवा में स्थानीय समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

महादयी नदी के बारे में -

- **प्रकार:** वर्षा आधारित नदी।
- **उद्गम स्थल: भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य**, बेलगावी जिला, कर्नाटक।
- **बहती है:** कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से।
- **मुहाना**: पणजी, गोवा के पास अरब सागर।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ**: कलासा, बंदुरी, मापुसा, रागदा, नानूज़, वाल्वोटी, नेरुल, सेंट इनेज़ क्रीक, दूधसागर।
- **महत्व**:
    - गोवा की जीवन रेखा।
    - चोराओ द्वीप पर दूधसागर जलप्रपात, सलीम अली पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है।

विवाद -

- **मुख्य मुद्दा**: कर्नाटक की महादयी की सहायक नदियों (कलासा और बंदुरी) से पानी को मालाप्रभा बेसिन की ओर मोड़ने की योजना।
- **गोवा की चिंता**: नदी का मार्ग बदलने से नदी का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे गोवा की पारिस्थितिकी, पेयजल आपूर्ति और जैव विविधता प्रभावित होगी।

स्रोत: [The Hindu: Mahadayi river diversion: protests over study claiming its limited impact on Goa]

धुंध(Haze)

संदर्भ

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में घनी धूल भरी धुंध छायी रही, जिससे पूरे शहर में दृश्यता काफी कम हो गई।

धुंध क्या है?

- **धुंध एक वायुमंडलीय घटना है जिसमें महीन धूल, धुआं और अन्य सूखे कण हवा में निलंबित हो जाते हैं।**
- **धुंध के कारण:**
    - **प्राकृतिक स्रोत:**
        - **वायु द्वारा उड़ाई गई धूल:** वायु द्वारा उड़ाए गए महीन मिट्टी के कण।
        - **वन्य अग्नि से उत्पन्न धुआँ:** वन एवं भूमि अग्नि के दौरान उत्सर्जित दहन उत्पाद।
        - **ज्वालामुखीय राख:** ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकले सूक्ष्म कण।
        - **समुद्री नमक:** समुद्री छींटों से हवा में उड़ने वाले छोटे-छोटे नमक के क्रिस्टल।
    - **मानव निर्मित स्रोत (वायु प्रदूषण):**
        - **जीवाश्म ईंधन का दहन:** वाहनों, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक सुविधाओं से निकलने वाले उत्सर्जन से कणीय पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं, जो धुंध का निर्माण कर सकते हैं।
        - **औद्योगिक प्रक्रियाएं:** विनिर्माण कार्यों से धूल, धुआं और रासायनिक एरोसोल निकल सकते हैं।
        - **कृषि गतिविधियाँ:** शुष्क परिस्थितियों में पराली जलाने और जुताई जैसी गतिविधियों से धूल और धुआं उत्पन्न हो सकता है।
- **स्मॉग धुंध के समान है लेकिन इसमें संघनन होता है, जो धुंध में अनुपस्थित होता है।**

स्रोत: **India Today: Delhi-NCR covered in gloomy dusty haze**

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी(IAEA)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कहा है कि भारत के साथ सैन्य तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान के किसी भी परमाणु संयंत्र से "कोई विकिरण रिसाव" नहीं हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में -

- **विषय:** अंतर-सरकारी मंच
    - संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर इसे **"शांति और विकास के लिए परमाणु" एजेंसी** के रूप में भी जाना जाता है।
- **स्थापना**: **1957 में** परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न गहरी आशंकाओं और अपेक्षाओं की प्रतिक्रिया के लिए।
    - संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर विश्व के "शांति के लिए परमाणु " संगठन के रूप में की गई थी।
- **उद्देश्य:** यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है।

- **कार्य:** यद्यपि IAEA आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तथापि यह मुख्य रूप से सीधे महासभा को रिपोर्ट करता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट कर सकता है।
- **शासन**: नीति निर्माण निकायों में सभी सदस्य राज्यों का महासम्मेलन और 35 सदस्यीय गवर्नर्स बोर्ड शामिल हैं।
- **कुल सदस्यता:** भारत सहित 178 देश।
- **मुख्यालय:** वियना।

स्रोत: **The Hindu: Pakistan's nukes should come under IAEA watch**

उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA)

संदर्भ

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर सभी चुनावों में नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प को अनिवार्य बनाने की मांग की है, भले ही केवल एक ही उम्मीदवार हो।

नोटा(NOTA) क्या है?

- **यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर एक विकल्प है जो मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है।**
- **उद्भव:**
    - **भारत में 2013 में पेश किया गया।**
    - **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम भारत संघ (2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद लागू किया गया।**
    - न्यायालय ने फैसला दिया कि **मतदान में गोपनीयता का अधिकार** अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए NOTA को एक विकल्प के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- **पहला प्रयोग**:
    - **पहली बार लागू किया गया: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, नवंबर 2013।**
    - बाद में इसका प्रयोग लोकसभा चुनाव (2014 के बाद) और राज्य विधानसभा चुनावों में किया गया।
- **प्रभाव:**
    - **यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो भी अगले सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है।**
    - **नोटा के कारण पुनः चुनाव नहीं होता है**, न ही उम्मीदवारों को अस्वीकार किया जाता है।
    - इसका **प्रभाव प्रतीकात्मक है**, निर्णायक नहीं।

स्रोत: **The Hindu: Should NOTA be included in all elections compulsorily?**

समाचार संक्षेप में

सरस्वती पुष्करालु

समाचार? कालेश्वरम (तेलंगाना) में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु शुरू हो गया है।
सरस्वती पुष्करालु के बारे में -

- **अवधि**: यह 12 दिनों तक मनाया जाता है।
- **आवृत्ति**: यह त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आता है।
- **खगोलीय समय**: यह तब देखा जाता है जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करता है।
- **नदी पूजा**: यह पूजा सरस्वती नदी को समर्पित है, जिसे हिंदू मान्यता के अनुसार एक अदृश्य और भूमिगत नदी माना जाता है।
- **मुख्य स्थान**: यह त्यौहार कालेश्वरम में त्रिवेणी संगमम में विशेष महत्व रखता है, जहां माना जाता है कि सरस्वती, गोदावरी और प्राणहिता नदियाँ मिलती हैं।

संबंधित तथ्य -

- **पौराणिक कथा के अनुसार, पुष्कर नामक एक भक्त ने घोर तपस्या की और भगवान शिव से उसे जल में निवास करने और नदियों को शुद्ध करने की शक्ति का आशीर्वाद मिला। बृहस्पति के अनुरोध पर, पुष्कर एक समय में एक पवित्र नदी में प्रवेश करने और उसे पवित्र करने के लिए सहमत हुए।**

समाचार में स्थान

बेल्जियम

खबर? बेल्जियम के अधिकारियों ने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना त्याग दी है।

बेल्जियम के बारे में -

- **अवस्थिति**: उत्तर-पश्चिमी यूरोप।
- **सीमावर्ती:** नीदरलैंड, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस और उत्तरी सागर।
- **राजधानी: ब्रुसेल्स**
    - **ब्रुसेल्स वास्तव में यूरोपीय संघ की राजधानी है।**
    - इसके अलावा यहाँ नाटो जैसे कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय भी स्थित है।
- **बेल्जियम यूरोज़ोन, नाटो, ओईसीडी और डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है।**

संपादकीय सारांश

क्या बिहार की उच्च प्रतिस्थापन दर गरीबी का परिणाम है?

संदर्भ

भारत के महापंजीयक द्वारा जारी 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, **बिहार में सबसे अधिक TFR 3.0 दर्ज की गई।**

क्या बिहार की उच्च प्रतिस्थापन दर गरीबी का परिणाम है?

यद्यपि गरीबी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक और संरचनात्मक कारक भी बिहार की उच्च कुल प्रजनन दर (TFR) को बनाए रखने में समान रूप से प्रभावशाली हैं।

बिहार में उच्च TFR के कारण -

- **सांस्कृतिक प्राथमिकताएं:** केवल 49.6% बिहारी महिलाएं सोचती हैं कि दो बच्चे आदर्श हैं (जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 67% है)।
    - पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा बनी रहती है; परिवार प्रायः कम से कम दो पुत्रों की चाह रखते हैं।
- **आर्थिक और सामाजिक कारक:** गरीबी और आर्थिक सुरक्षा के लिए बच्चों पर निर्भरता।
    - कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण के अभाव के कारण पारिवारिक श्रम पर निर्भरता बहुत अधिक हो जाती है।
    - कम महिला साक्षरता और रोजगार योग्यता (2011 की जनगणना के अनुसार 53% महिला साक्षरता)।
- **शहरी-ग्रामीण विरोधाभास:** यहां तक कि शहरी बिहार में भी TFR राष्ट्रीय शहरी औसत 1.6 के विपरीत प्रतिस्थापन स्तर (2.3) से ऊपर है।
    - सुझाव है कि प्रजनन क्षमता एक सचेत सांस्कृतिक विकल्प है, न कि केवल आर्थिक बाध्यता।
- **कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना:** प्रजनन संबंधी निर्णयों में महिलाओं की सीमित स्वायत्तता; आशा कार्यकर्ताओं और युवा महिलाओं के बीच सास-ससुर मध्यस्थता करते हैं।

निहितार्थ

- **जनसांख्यिकी और विकास संबंधी चुनौतियाँ:** उच्च TFR सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्रों पर दबाव डाल सकता है।
    - शिशु मृत्यु दर में कमी (प्रति 1000 पर 27) के बावजूद प्रजनन दर उच्च बनी हुई है।
- **राजनीतिक प्रभाव - परिसीमन पर बहस:** बिहार जैसे उत्तरी राज्यों (उच्च TFR) को परिसीमन के बाद संसद में अधिक सीटें मिल सकती हैं।
    - दक्षिणी राज्यों (कम TFR) को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित किया जा सकता है, जिससे संघीय निष्पक्षता और प्रतिनिधित्व संबंधी समानता का मुद्दा उठ सकता है।
- **नीतिगत निहितार्थ:** व्यापक महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और प्रजनन स्वायत्तता की आवश्यकता।
    - रोजगार के अवसरों, शहरीकरण और सामाजिक सुधार के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बिहार का उच्च TFR एक बहुआयामी मुद्दा है जिसमें संस्कृति, अर्थशास्त्र, शिक्षा और शासन शामिल है। सक्रिय हस्तक्षेप के बिना, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसांख्यिकीय अंतर आने वाले दशकों में गंभीर सामाजिक-राजनीतिक और संघीय चुनौतियां पैदा कर सकता है।

स्रोत: [The Hindu: Is Bihar's high replacement rate a consequence of poverty?]

दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल बहिष्करण

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने 'दिव्यांग व्यक्तियों' (PwD) के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने ग्राहक को जानो (KYC) डिजिटल मानदंडों में संशोधन का निर्देश दिया, और 'डिजिटल पहुंच के अधिकार' को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 की पुनर्व्याख्या की।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम(RPwD), 2016 क्या दृष्टिकोण अपनाता है?

RPwD अधिनियम, 2016 दिव्यांगता के सामाजिक-बाधा मॉडल को अपनाता है। यह मॉडल व्यक्ति की दिव्यांगताओं से ध्यान हटाकर उन पर्यावरणीय, मनोवृत्तिगत और प्रणालीगत बाधाओं पर केंद्रित करता है जो समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

- दिव्यांगता केवल चिकित्सीय नहीं है बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और सामाजिक कारक भी शामिल हैं।
- समान भागीदारी पर जोर दिया गया - नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक।
- यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप है।
- **धारा 42** निम्नलिखित का उपयोग करते हुए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुलभ बनाने का आदेश देती है:
    - ऑडियो विवरण
    - सांकेतिक भाषा व्याख्या
    - कैप्शन
    - सार्वभौमिक डिजाइन मानक
- कानून के अंतर्गत मौलिक समानता और गैर-भेदभाव को सुनिश्चित करता है।

बैंक और अन्य वित्तीय एवं सरकारी संस्थाएं KYC विवरण एकत्र करना अनिवार्य क्यों करती हैं?

KYC (अपने ग्राहक को जानें) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक अनिवार्य नियामक तंत्र है, जिसका उद्देश्य है:

- धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण, पहचान धोखाधड़ी और कर चोरी को रोकना।
- बैंकिंग, दूरसंचार, बीमा, पेंशन और अन्य सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान सत्यापन सुनिश्चित करना।
- सरकारी लाभ वितरण को सुविधाजनक बनाना जैसे:
    - आधार से जुड़ा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)
    - छात्रवृत्ति
    - पेंशन और सब्सिडी
- नियामक ढांचा
- आरबीआई के मास्टर निर्देश (2016) में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - ग्राहक उचित परिश्रम (CDD) रूपरेखा
    - वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)
- सेबी, आईआरडीएआई और दूरसंचार विभाग ने भी निवेशकों और दूरसंचार सेवाओं के लिए डिजिटल KYC को अनिवार्य कर दिया है।

वर्तमान डिजिटल KYC ढांचा दृष्टिबाधित व्यक्तियों और एसिड अटैक पीड़ितों को किस प्रकार बाहर रखता है?

वर्तमान KYC प्रणालियां समावेशी नहीं हैं और प्रायः सुगम्यता संबंधी अनिवार्यताओं का उल्लंघन करती हैं, जिससे प्रभावी रूप से दिव्यांगजनों को दूरस्थ पहचान सत्यापन से वंचित रखा जाता है।

- **बहिष्करणीय पहलू:**

- **दृश्य-आधारित संकेत**:
  - आंख निमिष
  - स्क्रीन पर चमकते कोड पढ़ना
  - कैमरे पर चेहरे या आईडी कार्ड को संरेखित करना - स्क्रीन-रीडर या ऑडियो-अनुकूल नहीं
- **हस्ताक्षर आवश्यकताएँ**:
  - अंगूठे का निशान स्वीकार नहीं किया जाता।
  - डिजिटल फॉर्म अक्सर सहायक उपकरणों या वैकल्पिक तरीकों को अस्वीकार कर देते हैं।
- **बायोमेट्रिक चुनौतियाँ**:
  - आधार बायोमेट्रिक स्कैनर में ऑडियो फीडबैक जैसी सुविधाओं का अभाव है।
  - उपकरण शायद ही कभी चेहरे की विकृति वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
- **वेबसाइट और ऐप संबंधी समस्याएं**:
  - आईसीटी पहुंच मानकों का उल्लंघन (2021, 2022)
  - स्क्रीन-रीडर संगतता, ऑडियो संकेत या स्पष्ट फ़ॉर्म नेविगेशन नहीं
- **विनियामक कठोरता**:
  - आरबीआई के निर्देशों में किसी को प्रेरित करने पर रोक है, हालांकि कई दिव्यांगजनों को सहायता की आवश्यकता होती है।
  - एकरूपता का अभाव: प्रत्येक संस्थान दिव्यांगजनों के इनपुट के बिना ही अपनी स्वयं की परीक्षाएं तैयार करता है।

हस्तक्षेप के लिए कानूनी समर्थन

- **सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों** (जैसे, राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ , 2024) ने पुष्टि की है कि:
  - सुगम्यता अनुच्छेद 21 (जीवन और सम्मान का अधिकार) का केन्द्रीय विषय है।
  - डिजिटल पहुंच को डिजाइन के अनुसार समावेशी होना चाहिए, न कि बाद में सोचा गया विचार।
  - डिजिटल सेवाओं से दिव्यांगजनों को बाहर रखना अनुच्छेद 14, 15, 21 और 38 का उल्लंघन है।

निष्कर्ष

वर्तमान डिजिटल KYC ढांचा, राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संरचनात्मक रूप से कई दिव्यांग नागरिकों को इससे बाहर रखा गया है। सभी के लिए समान डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से सूचित एक सार्वभौमिक डिजाइन दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्रोत: **The Hindu: Does Article 21 include right to digital access?**